



# JEEVIKA

An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation

## Bihar Rural Livelihoods Promotion Society State Rural Livelihoods Mission, Bihar



1<sup>st</sup> Floor, Vidyut Bhawan-II Bailey Road, Patna - 800 021, Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : [www.brlnp.in](http://www.brlnp.in)

Ref.: BRLPS/Prj-F1/497/14/मा-ए/173।

Date: ..... 03.08.2019 .....

### कार्यालय-आदेश

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके उच्चतर संगठनों के माध्यम से जीविकोपार्जन संवर्धन हेतु कार्य किये जा रहे हैं। ये कार्य राज्य स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे हैं। जीविका द्वारा संचालित गतिविधियों का क्रियान्वयन बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (BTDP-Bihar Transformative Development Project), नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (NRETP-National Rural Economic Transformation Project) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM-National Rural Livelihoods Mission) के अंतर्गत किये जा रहे हैं। वर्णित परियोजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 300, 89 एवं 145 प्रखंडों में कार्य किया जा रहा है। जीविका द्वारा वृहद पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों का गठन कर सदस्यों की क्षमतावर्धन हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। साथ ही सामुदायिक संगठन के स्तर पर जीविकोपार्जन संबंधित संसाधनों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक निवेश निधि (CIF-Community Investment Fund) के निवेश की परिकल्पना की गयी है ताकि सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ की जा सके। आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों को प्रशिक्षित कर बैंकों के माध्यम से भी निवेश लाने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि सामुदायिक संगठनों को स्वाबलंबी बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

जीविका परियोजना के द्वारा सामुदायिक निवेश निधि का उपयोग सामुदायिक रांगठन के स्तर पर निर्णय क्षमता बढ़ाने एवं उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। इस निधि के संचालन से सामुदायिक स्तर पर आत्म विश्वास की बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि संसाधनों पर निर्णय का अधिकार उनका होता है। पिछले कुछ वर्षों में इस निधि का उपयोग कर गरीब परिवार के सदस्यों ने महाजनों का अत्यधिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण चुकाया, अपनी गिरवी रखी जमीन वापस ली, जीविका के संसाधनों को बढ़ाया, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाया, खाद्य सुरक्षा बढ़ाया तथा परिवार की खुशहाली के लिए अन्य कई कार्य किये।

विगत कुछ वर्षों के अनुभव, वर्णित परियोजनाओं के मापदंड एवं सामुदायिक संगठनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

(क) वैसे समूह जिन्हें 01 जुलाई 2015 से 31 दिसम्बर 2016 के अंतर्गत आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) के रूप में 30,000/- रुपये (तीस हजार रुपये) की राशि आजीविका संवर्धन हेतु जीविका परियोजना द्वारा उपलब्ध करवाये गये हैं, उन्हें 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) की अतिरिक्त राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) के रूप में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। यह राशि समूहों को सीधे उनके बचत खाते में हस्तानांतरित करके उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। ये वही खाते होंगे जिनमें पूर्व में भी राशि उपलब्ध करवायी गयी थी।

(ख) यह वर्णित करना उचित होगा कि उपर्युक्त संदर्भ में समूहों को आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) की राशि दो किश्तों में दी गयी थी। ऐसे सभी समूहों को शुरूआत में 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये) तथा दिनांक 21 जुलाई 2017 के निर्णय के आलोक में बाद में 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) प्रति समूह की दर से आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) की अतिरिक्त राशि समूहों को उपलब्ध करवायी गयी थी। संबंधित समूहों को अतिरिक्त राशि अधिकांशतः समूहों के बचत खाते में हस्तानांतरित करके उपलब्ध करवायी गयी थी। हलांकि कुछ समूहों को ग्राम संगठन/संकुल संघ के माध्यम से भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवायी गयी थी। ऐसी परिस्थिति में संबंधित कुछ समूहों को यह राशि ग्राम संगठन/संकुल संघ के माध्यम से भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवायी जा सकती है।

(ग) संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सिर्फ वैसे समूहों को ही 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) की प्रस्तावित अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवायी जाएगी जो इसकी अर्हता रखते हैं (अर्थात् जिन समूहों को जीविका परियोजना के द्वारा 01 जुलाई 2015 से 31 दिसम्बर 2016 के बीच आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) उपलब्ध करवायी गयी हो)।

(घ) जीविका परियोजना द्वारा प्रस्तावित मद में (10,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में) होने वाले व्यय की समस्त राशि का समायोजन सभी जिलों के सभी प्रखंडों

में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM-National Rural Livelihoods Mission) के तहत उपलब्ध राशि से किया जाएगा।

(ड) यह भी निर्देशित है कि NRETP (National Rural Economic Transformation Project) के अंतर्गत कियान्वयित प्रखंडों में आने वाले समय में परिकमी निधि (RF-Revolving Fund) एवं आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) के समस्त राशि का समायोजन NRLM (National Rural Livelihoods Mission) के अंतर्गत उपलब्ध राशि में करना सुनिश्चित करेंगे।

(च) यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्तमान में सिर्फ वैसे समूहों को आरंभिक पूंजीकरण निधि के तहत अतिरिक्त दस हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है जिन्हें 01 जुलाई 2015 से 31 दिसम्बर 2016 के बीच आरंभिक पूंजीकरण निधि की राशि उपलब्ध करवायी गयी थी। उपर्युक्त वर्णित तिथि के बाद के समूहों के बारे में निर्णय अगले चरण में लिया जाएगा।

(छ) कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj/497/14/2274 दिनांक 22 अगस्त 2017 के अंतर्गत निर्देशित सभी प्रावधान मान्य हैं। वर्णित मापदंडों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ज) सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित है कि कार्यालय आदेश के अंतर्गत वैसे सभी समूहों की सूची को LCM रजिस्टर (Loan Committee Meeting Register) में सूचीबद्ध करते हुए जिला परियोजना कियान्वयन इकाई को भेजना सुनिश्चित करेंगे। LCM रजिस्टर में समूहों को सूचीबद्ध करना अत्यन्त आवश्यक है।

(झ) सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित है कि लिये गये निर्णय के अनुसार आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) की अतिरिक्त 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) की राशि का हस्तानांतरण संबंधित समूहों में 31 अगस्त 2019 तक करना सुनिश्चित करें। संबंधित समूहों को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी समस्त जिला परियोजना समन्वयन इकाई (DPCU) एवं प्रखंड परियोजना कियान्वयन इकाई (BPIU) के कर्मियों की होगी। इस संदर्भ में समूह स्तर पर लेखांकन की प्रक्रिया को पूरी करने की जिम्मेदारी प्रखंड स्तर पर पदस्थापित सभी कर्मियों की होगी।

(ज) उपर्युक्त राशि के हस्तानांतरण की प्रक्रिया PMFS (Public Financial Management System) के माध्यम से सुनिश्चित की जानी है। अतः संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण 10 अगस्त 2019

तक राज्य स्तर/जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। PFMS के माध्यम से राशि हस्तानान्तरण के पूर्व की संबंधित प्रक्रियाओं का निस्तारण यथाशीघ्र सुनिश्चित करने हेतु प्रखंड परियोजना प्रबंधकों एवं जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित है। साथ ही साथ पूर्व में दी गयी सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund - CIF) की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे।

(ट) सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधकों एवं जिला परियोजना प्रबंधकों को यह निदेशित है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में सामुदायिक संगठनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund - CIF) से संबद्ध अवयवों (RF, ICF, HRF, FSF आदि) में निर्धारित मापदंड (कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj/497/14/2274 दिनांक 22 अगस्त 2017) के अनुसार पूंजी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। पूरी प्रक्रिया में गतिशीलता लाने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि समुदाय के स्तर पर जीविकोपार्जन के संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक अपने कार्य क्षेत्र में इस निर्णय के अनुसार कार्य सुनिश्चित करवायें। साथ ही इस कार्यालय आदेश की प्रति समस्त परियोजनाकर्मियों को प्रखंड स्तर पर उपलब्ध करवायी जाए। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रखंड एवं जिला परियोजना प्रबंधक पर होगी।



(बालामुरुगन डी०)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जीविका